उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-652/ग्यारह-2-21-9(42)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(194)-2021

लखनऊः दिनांकः21 जुलाई, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम	1.	यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

2. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,:-

(i) नियम 23 में, उपनियम (1) में, तारीख 18 मई, 2021 से प्रभावी, शब्द "रजिस्टीकरण को रद्द किये जाने के आदेश को तामील किये जाने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर" के पश्चात,शब्द और अंक "या धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करके, यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा बढ़ायी गयी समयावधि के भीतर,"बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ii) नियम 36 के उप नियम (4) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् 1 मई, 2021 से निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि ऐसी शर्त, अप्रैल और मई, 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और मई, 2021 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।";

(iii) नियम 59 के उपनियम (2) में, 1 मई, 2021 से निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह अप्रैल, 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए ऐसे ब्यौरों को, 1 मई 2021 से 28 मई, 2021 तक प्रस्तुत कर सकता है।

(iv) नियम 90 में, 18 मई, 2021 से -

(क) उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा,

"परंतु यह कि कमियों को सुधारने के बाद आवेदक द्वारा दायर किए गए नए प्रतिदाय के दावे के संबंध में, **प्ररूप जीएसटी आरएफ़डी-01** में प्रतिदाय के दावे को दायर करने की तारीख से समुचित अधिकारी द्वारा **प्ररूप जीएसटी आरएफ़डी-03 में** कमियों को संसूचित करने की तारीख तक की, समय अवधि को, धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट दो साल की समय सीमा से बाहर रखा जाएगा।

(ख) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

"(5) आवेदक, किसी **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में दायर किए गए किसी प्रतिदाय के आवेदन के संबंध में, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04** में अनंतिम स्वीकृत प्रतिदाय आदेश या **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06** में अंतिम स्वीकृत प्रतिदाय आदेश या **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05** में संदाय आदेश या **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07** में प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश या **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08** में नोटिस, के जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू**, में आवेदन दायर करके प्रतिदाय के लिए उक्त आवेदन को वापस ले सकेगा ।

(6) **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में प्रतिदाय के लिए आवेदन करते समय, यथास्थिति, इलेक्ट्रोनिक उधार खाता या इलेक्ट्रोनिक नगद खाता से आवेदक द्वारा विकलित कोई रकम **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू** में प्रतिदाय की वापसी के आवेदन को प्रस्तुत करने पर उस खाते में वापस जमा की जाएगी जिससे ऐसा विकलन किया गया था।";

(v) नियम 92 में, दिनांक 18 मई, 2021 से-

(क) उपनियम (1) में, परंतुक निकाल दिया जाएगा ;

(ख) उपनियम (2) में,-

(i) शब्द और अक्षर "भाग ख", के स्थान पर, शब्द और अक्षर "भाग क" रख दिये जायेंगे;

(ii) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि जहां समुचित अधिकारी या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय इससे अधिक रोके जाने हेतु दायी नहीं है, वहाँ वह **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07** के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी किए जाने का आदेश पारित कर सकेगा ।";

(vi) नियम, 96 में, दिनांक 18 मई, 2021 से,-

(क) उपनियम 6 में, शब्द और अक्षर "भाग ख", के स्थान पर, शब्द और अक्षर "भाग क" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपनियम (7) में, शब्द, अक्षर और अंक "**प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश पारित करने के पश्चात्", शब्द, अक्षर और अंक , "**प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07** के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय

को जारी करने के लिए किसी आदेश को पारित करके **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06** में कोई आदेश पारित करने के पश्चात्" रख दिये जाएंगे;

(vii) प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में, 18 मई, 2021 से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश" उपशीर्ष के अधीन, प्रथम बुलेट बिंदु में, शब्द रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश के तामील की तारीख से तीस दिन में" के पश्चात, शब्द और अंक "या ऐसी समय अवधि के भीतर, जो धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करके यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए," रख दिये जायेंगे;

(viii) नियम 138ई में, 18 मई, 2021 से शब्द "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में चाहे वह पूर्तिकर्ता हो या प्राप्तिकर्ता हो" के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल के किसी भी जावक संचलन के संबंध में, जो भी हो" रख दिये जायेंगे ।

(ix) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के स्थान पर, 18 मई, 2021 से निम्नलिखित प्ररूप रख दिये जायेंगे अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07
[नियम 92(2) और 96(6) देखें]

दिनांक: <दिन/मास/वर्ष>

संदर्भ सं.

सेवा में
........................(जीएसटीआईएन/विशिष्ट पहचान सं./अस्थायी पहचानपत्र)
......................(नाम)
................................(पता)
..............................(एआरएन)

भाग-क

प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

उपरोक्त विनिर्दिष्ट एआरएन के संबंध में आयकरदाता को संदेय प्रतिदाय एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (10)/ (11) के उपबंधों के अनुसार रोका जाता है। रोके जाने के लिए कारण निम्नवत् है :

क्रम संख्या	विशिष्टियां	
1.	एआरएन	
2.	आरएफडी-01 में दावाकृत धनराशि	<ऑटो पोपुलेटेड>

3.	आरएफडी-06 में अग्राह्य धनराशि	<ऑटो पोपुलेटेड>
4.	आरएफडी-06 में समायोजित धनराशि	<ऑटो पोपुलेटेड>
5.	रोकी गई धनराशि	
6.	रोके जाने के लिए कारण (एक से अधिक कारण का चयन किया जा सकता है	• वसूलनीय देय, जो संदत्त नहीं किए • धारा 54 की उपधारा (11) को ध्यान में रखते हुए, • गंभीर प्रकृति के कपट/कपटों के कारण • अन्य, (विनिर्दिष्ट करें)
7.	कारणों का विवरण	(पांच सौ अक्षरों तक, विस्तृत कारणों के लिए पृथक फाइल संलग्न की जा सकती है)
8.	व्यक्तिगत सुनवाई का अभिलेख	(पांच सौ अक्षरों तक, विस्तृत अभिलेखों के लिए पृथक फाइल संलग्न की जा सकती है)

भाग-ख

रोके गए प्रतिदाय को जारी करने का आदेश

यह आपके प्रतिदाय आवेदन <एआरएन> दिनांक <दिनांक> के संदर्भ में है, जिसके विरुद्ध आदेश <आरएफ़डी-06 आदेश संख्या > दिनांक <दिनांक > द्वारा स्वीकृत संदेय प्रतिदाय की धनराशि के भुगतान को इस कार्यालय के आदेश <आदेशसंदर्भसंख्या > दिनांक <दिनांक> द्वारा रोक दिया गया था । अब मैने अपनी संतुष्टि में यह पाया है कि प्रतिदाय की धनराशि को रोके जाने की शर्तें अब अस्तित्व में नहीं हैं और इसलिए, रोके गए प्रतिदाय की धनराशि को निम्नानुसार जारी किए जाने की अनुमति दी जाती है :

क्रम संख्या	विशिष्टियां	
1.	एआरएन	
2.	आरएफडी-01 में दावाकृत धनराशि	<ऑटो पोपुलेटेड>
3.	आरएफडी-06 में अग्राह्य धनराशि	<ऑटो पोपुलेटेड>
4.	आरएफडी-06 में समायोजित धनराशि	<ऑटो पोपुलेटेड>
5.	आरएफडी-07क में रोकी गई धनराशि	<ऑटो पोपुलेटेड>
6.	निर्मुक्त की गई धनराशि	
7.	संदत्त की जाने वाली धनराशि	

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर (डीएससी) :

नाम :

पदनाम :

कार्यालय पता : ";

(x) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01ख के पश्चात्, दिनांक 18 मई, 2021 से निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू

[नियम 90(5) देखिए]

प्रतिदाय आवेदन की वापसी हेतु आवेदन

1. एआरएन :

2. माल और सेवा कर पहचान सं. :

3. कारबार का नाम (विधिक) :

4. व्यापार नाम, यदि कोई हो :

5. कर अवधि :

6. दावा किए गए प्रतिदाय की धनराशि :

7. प्रतिदाय दावा वापस लेने के लिए आधार :

i प्रतिदाय आवेदन गलती से फाइल किया गया है

ii प्रतिदाय आवेदन गलत प्रवर्ग के अधीन फाइल किया गया है

iii प्रतिदाय आवेदन में गलत ब्यौरे उल्लिखित हैं

iv अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

8. घोषणाः मैं/हम (करदाता का नाम) एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं और यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इसमें दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

दिनांक : नाम :

पदनाम / प्रास्थिति "।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव